तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामिल में ज
6/5/04	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह उपस्थित। अप्रार्थी पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम गोरीया के पुराने खसरा नबर 457 रकबा साढे सात बीघा सेटलमेंट से पूर्व के अभिलेखों में प्रार्थीगण के पिता भारता पुत्र रूपा के नाम की खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता के नाम भू–प्रबंध पूर्व के रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के भू–प्रबंध पूर्व के रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के भू–प्रबंध पश्चात नये खसरा नंबर 1008, 1010, 1011 कुल रकबा 1.2 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी को मूंगला, नगा पुत्र हदा गरासिया के नाम भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से इस भूमि पर काबिज है। भूमि पर रहवासी मकान बनाकर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है, परंतु रिकॉर्ड में मूंगला पुत्र हदा का नाम दर्ज होने से रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार द्वारा भूमि बेचने की धमकी प्रार्थीगण को दी है। जिसके लिये प्रार्थीगण ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस बाबत न्यायालय द्वारा तलब की गई रिपोर्ट भी तहसीलदार बाली ने पेश कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने बहस में प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम गोरिया के वर्तमान खसरा नंबर 1008, 1010, 1011 पुराने खसरा नंबर 457 में से बने हैं। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार जैसा, देवा, मुकेश पिता नगा वगैरा जो नगा पिता हदा के वारिसान के रूप में दर्ज है, जो नामान्तरकरण संख्या 581 से दर्ज हुये है। प्रार्थी द्वारा धारा 136 में अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। नियमानुसार खातेदारी अधिकार का वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकते है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया, वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया जाता है। उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण ने वर्तमान रिकॉर्ड मे दर्ज 1.24 हैक्टर के खातेदारान को पक्षकार ही नही बनाया है। इसके साथ ही सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदी सवत 2030 से 2033 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम गोरिया के गत खसरा नंबर 457/1 रकबा 7.50 बीघा प्रार्थीगण के पिता भारता पुत्र रूपा के नाम दर्ज थी। जबकि तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पुराने खसरा नंबर 457 मी. से हाल खसरा नंबर 1008, 1010, 1011 बने है। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है तथा साथ ही पेरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारान विरासत के नामान्तरकरण संख्या 581 से हुये है। विधि अनुसार हितबद्ध पक्ष को सुने बिना अधिकार अभिलेखो में दर्ज उनकी खातेदारी को विलोपित नही किया जा सकता	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	है। पेरोकार सरकार की इस दलील से न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है कि प्रार्थीगण नियमानुसार खातेदारी अधिकार बाबत वाद दायर करके ही अनुतोष प्राप्त कर सकते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पा...

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली